पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2019 का दीवानी विविध क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1701

==========

1. राजीव रंजन उर्फ सतेंद्र कुमार, पुत्र- स्वर्गीय चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा, निवासी- गावताल, दानापुर, थाना- दानापुर, जिला-पटना।

2. अश्विनी कुमार, पुत्र- स्वर्गीय चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा, निवासी- गावताल, दानापुर, थाना- दानापुर, जिला-पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. शकुंतला कुमारी वर्मा, पत्नी- स्वर्गीय सत्यपाल वर्मा उर्फ सुरेंद्र कुमार, निवासी- नखास पिंड, थाना- मालसलामी, जिला-पटना।

2. अशोक कुमार, पुत्र- स्वर्गीय चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा, निवास- गावतल दानापुर, थाना- दानापुर, जिला-पटना।

....प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री विकास कुमार शर्मा, अधिवक्ता
		श्री जीतेन्द्र कुमार, अधिवक्ता
		श्री अबनीश कुमार, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए	:	श्री जे.एस. अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री रवि भाटिया, अधिवक्ता
		श्री हिमांशु शेखर, अधिवक्ता

===

भारतीय संविधान---अनुच्छेद 227--- सिविल प्रक्रिया संहिता---धारा 151, आदेश IX नियम 4, आदेश 17 नियम 2--- विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए याचिका जिसके तहत डिफ़ॉल्ट के लिए बर्खास्तगी के आदेश को अलग करने के बाद निरसन मामले को बहाल करने की याचिका खारिज कर दी गई है---याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क कि किसी मुकदमे या आवेदन को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए और मामले को योग्यता के आधार पर तय करने का प्रयास किया जाना चाहिए, खासकर जब पक्षकारों ने पहले ही अपने साक्ष्य पेश कर दिए हैं और मामला अंतिम दलीलों पर सुनवाई के लिए लंबित है---आगे तर्क यह है कि याचिकाकर्ताओं ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर लाई है, जिसके कारण वह उचित कदम नहीं उठा सके, जब निरसन मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया था---प्रतिवादी की ओर से तर्क यह है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं का निरसन मामला स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसे बहाल करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा---निर्णय: निरस्तीकरण मामले की स्वीकार्यता इस साधारण कारण से मुद्दा नहीं बन सकती कि प्रतिवादी ने निचली विद्वान अदालत में निरस्तीकरण मामले की शुरूआत और आगे की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी है --- अदालत मामले को तब आगे बढ़ा सकती है जब किसी पक्ष का साक्ष्य पहले ही दर्ज हो चुका हो और ऐसा पक्ष किसी तारीख को उपस्थित होने में विफल रहता है जिस दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है--- दोनों पक्षों के साक्ष्य दर्ज किए जा चुके हैं और दलीलें सुनी जा चुकी हैं तथा दलीलों के लिखित नोट प्रस्तुत किए जा चुके हैं, विद्वान विचारण न्यायालय के लिए उचित तरीका यह था कि वह गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करता या कम से कम आवेदक/याचिकाकर्ताओं को एक अवसर देता

और मामले को चूक के कारण खारिज नहीं करता---आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है---याचिका स्वीकार की जाती है। ***(पैरा 1, 3, 9, 11, 12)***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सी.ए.वी. निर्णय

तारीख : 10-04-2024

याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश- XIV, पटना द्वारा विविध वाद संख्या 04/2013 में पारित दिनांक 30.08.2019 के आदेश को रद्द करने के लिए वर्तमान याचिका दायर की है, जिसके तहत और जिसके तहत नागरिक प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे 'कोड' के रूप में संदर्भित किया जाता है) की धारा 151 के साथ आदेश IX नियम 4 के तहत दायर बहाली याचिका, 15.06.2013 को चूक के लिए बर्खास्तगी के आदेश को अलग करने के बाद, निरसन वाद संख्या 238/2006 को अपनी मूल फ़ाइल में बहाल करने के लिए, प्रतियोगिता पर खारिज कर दी गई है।

02. संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि याचिकाकर्ताओं के नाना, अर्थात्, चूड़ामणि वर्मा, की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, वे अपनी पत्नी मेहता देवी कुअर, एक बेटे ओम प्रकाश और एक बेटी ओम प्रभा देवी को छोड़ गए थे। बेटे ओम प्रकाश की मृत्यु 1950 से पहले हो गई थी, वे अपने पीछे दो विवाहित बेटियों को छोड़ गए थे। ओम प्रभा देवी की शादी चंदेश्वर प्रसाद से हुई थी और उनके चार बेटे

सत्यपाल वर्मा (अब मर चुके हैं), अशोक कुमार (प्रतिवादी संख्या 2), राजीव रंजन उर्फ सत्येंद्र कुमार (याचिकाकर्ता संख्या 1) और अश्विनी कुमार (याचिकाकर्ता संख्या 2) के अलावा चार बेटियाँ हैं। 1962 में मेहता देवी कुअर ने अपनी संपत्ति पंजीकृत वसीयत के माध्यम से अपनी बेटी ओम प्रभा देवी के पक्ष में कर दी और मेहता देवी कुअर की 1995 में मृत्यु हो गई। 1999 में सत्यपाल वर्मा की पत्नी ने 15.05.1993 की अपंजीकृत वसीयत के संबंध में प्रोबेट केस संख्या 226/1999 दायर किया, जिसे कथित तौर पर मेहता देवी कुअर ने उनके पक्ष में निष्पादित किया था। सत्यपाल वर्मा की मृत्यु वर्ष 2004 में हो गई और वे अपने पीछे दो बेटे और एक बेटी छोड़ गए और उनकी मृत्यु के बाद, वे प्रोबेट मामले में उनके स्थान पर विपरीत पक्ष बन गए। इसके अलावा ओम प्रभा देवी, अशोक कुमार, राजीव रंजन और अश्वनी कुमार को पहले से ही प्रोबेट मामले में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सत्यपाल वर्मा के साथ पक्ष बनाया गया था। याचिकाकर्ताओं का आगे का मामला यह है कि शकुंतला कुमारी वर्मा ने ओम प्रभा देवी, अशोक कुमार, राजीव रंजन और अश्विनी कुमार के खिलाफ जारी समन/नोटिस को दबा दिया और उनकी सहमति के बिना उनकी ओर से जाली वकालतनामा दाखिल करने में कामयाब रहीं। इसके बाद, प्रतिस्थापित विपक्षी यानी उनके दो बेटों और बेटी ने वसीयत के संबंध में उनके दावे को स्वीकार कर लिया और उसी आधार पर उन्हें प्रोबेट प्रदान किया गया। प्रोबेट देने के आदेश के बारे में जानकारी मिलने पर याचिकाकर्ताओं ने अपने भाई अशोक कुमार और मां ओम प्रभा देवी के साथ प्रतिवादी संख्या 1 शकुंतला कुमारी वर्मा के पक्ष में प्रोबेट देने के आदेश को रद्द करने के लिए निरसन वाद संख्या 238/2006 दायर किया। ओम प्रभा देवी की वर्ष 2008 में मृत्यु हो गई। निरसन वाद की सूचना पर, प्रतिवादी संख्या 1 शकुंतला कुमारी वर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आपत्ति याचिका दायर करके मामले का विरोध किया। दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं तथा दलीलों

के लिखित नोट दाखिल किए। इस बीच न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का तबादला हो गया, इसलिए अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सका। केस रिकॉर्ड डेढ़ साल से अधिक समय तक एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित होता रहा और उस अवधि के दौरान मामले की सुनवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ताओं का आगे का मामला यह है कि अंततः मामला वर्तमान विचारण न्यायालय में स्थानांतरित हो गया। प्रत्येक तारीख पर याचिकाकर्ताओं की ओर से उचित पैरवी की जा रही थी, लेकिन विपक्षीगणों की अनुपस्थिति के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। दिनांक 20.04.2013 के आदेश द्वारा, विद्वान विचारण न्यायालय ने कार्यालय को विपक्षीगणों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सूचित करने का निर्देश दिया। यहां तक कि विपक्षीगण भी उस दिन उपस्थित नहीं थे, जिस दिन 15.06.2013 को मामला डिफॉल्ट के कारण खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं का आगे का मामला यह है कि वर्ष 2013 में, प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र अमित कुमार वर्मा ने याचिकाकर्ता राजीव रंजन और अश्वनी कुमारी के खिलाफ दानापुर पी.एस. कांड संख्या 281/2013 दर्ज कराया और 06.06.2013 को उन्हें मामले में गिरफ्तार करवाया। 08.07.2013 को बी.पी. संख्या 2678/2013 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-एक्स, पटना द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के बाद 10.07.2013 को उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया। जब याचिकाकर्ता पुलिस हिरासत में थे, तब निरस्तीकरण वाद संख्या 238/2006 को 15.06.2013 के आदेश के तहत चूक के कारण खारिज कर दिया गया था, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि श्री राम कुमार (वास्तव में श्री राज कुमार), अधिवक्ता यद्यपि निरस्तीकरण वाद संख्या 238/2006 में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए थे, लेकिन उनके पास उनकी ओर से शक्ति नहीं थी। यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण था क्योंकि श्री राज कुमार, अधिवक्ता को नियुक्त करने वाले याचिकाकर्ताओं का विधिवत् निष्पादित वकालतनामा पहले से ही 2008 से निरसन केस संख्या 238/2006 के

रिकॉर्ड में था। याचिकाकर्ताओं ने अपने सगे भाई अशोक कुमार को विपक्षी पार्टी 2 के रूप में शामिल करते हुए, 15.06.2023 के आदेश के अनुसार डिफ़ॉल्ट के लिए निरसन केस की बर्खास्तगी को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 151 के साथ आदेश IX नियम 4 के तहत एक याचिका दायर की, मुख्य रूप से इस आधार पर कि 15.06.2013 को याचिकाकर्ता हिरासत में थे और इस तरह वे अपने अधिवक्ता को उचित कदम उठाने के लिए निर्देश देने में सक्षम नहीं थे या वे स्वयं उचित कदम उठाने की स्थिति में नहीं थे जब मामले की सुनवाई के लिए बुलाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी मुख्य याचिका के क्रम में 12.08.2013 को एक पूरक याचिका भी दायर की। याचिकाकर्ताओं का आगे का मामला यह है कि याचिकाकर्ताओं के भाई अशोक कुमार, प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मिलीभगत में चले गए और वह जानबूझकर तय तारीख को अदालत में उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी संख्या 1/विपरीत पक्ष संख्या 1 ने 23.01.2024 को आपत्ति दर्ज करके याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि वह उस दिन अनुपस्थित थी जब निरस्तीकरण मामला डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, चूक के लिए उनके निरस्तीकरण मामले संख्या 238/2006 की बर्खास्तगी को अलग रखने के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को 30.08.2019 के आपत्तिजनक आदेश के माध्यम से गलत तरीके से ठुकरा दिया गया था।

03. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास कुमार शर्मा ने दलील दी कि विद्वान विचारण न्यायालय ने कानून की एक गंभीर गलती की है, जब वह कानून के इस स्थापित सिद्धांत पर ध्यान देने में विफल रहा कि किसी मुकदमे या आवेदन को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए और मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करने का प्रयास किया जाना चाहिए, खासकर तब जब पक्षकारों ने पहले ही अपने साक्ष्य पेश कर दिए हैं और मामला अंतिम दलीलों पर सुनवाई के लिए

लंबित है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ताओं ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री पेश की है, जिनमें याचिकाकर्ताओं को उचित कदम उठाने से रोका गया था, जब निरस्तीकरण मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए बुलाया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पिछले आचरण के आधार पर विवादित आदेश पारित करके तथ्य और कानून के आधार पर भी गलती की है, जबकि कानून के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है कि किसी पक्ष को केवल उस कारण/कारण की व्याख्या करने की आवश्यकता होती है, जिसने उसे अदालत में पेश होने या उचित कदम उठाने से रोका, जब मामले की सुनवाई के लिए बुलाया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने स्थापित सिद्धांतों पर ध्यान देने में भी विफल रहा कि याचिकाकर्ताओं को केवल उन परिस्थितियों की व्याख्या करने की आवश्यकता थी, जिन्होंने उन्हें मामले में अंतिम तर्कों पर सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर जवाब देने से रोका। विद्वान अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान देने में विफल रही कि याचिकाकर्ता उस समय हिरासत में थे जब मामला बुलाया गया था और डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज कर दिया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रोबेट मामले के साथ-साथ निरसन मामले में आरोपित तथ्यों पर विचार करके खुद को भी गलत दिशा में ले लिया और अनुमान और अटकलबाजी के आधार पर विवादित आदेश पारित कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रोबेट याचिका स्वयं सीमा अवधि के कानूनों के तहत वर्जित थी, फिर भी इसे आवेदक शकुंतला कुमारी वर्मा के पक्ष में 17.12.2005 को अनुमति दी गई। विविध मामला संख्या 04/2013 के पंजीकरण के बाद यह आगे बढ़ा और प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित हुई और अपनी आपत्ति दर्ज करके बहाली के लिए प्रार्थना का विरोध किया। हालांकि, विविध मामला संख्या 04/2013 को 15.10.2014 को चूक के कारण खारिज कर दिया गया था जब दोनों पक्ष अनुपस्थित थे। संहिता की

धारा 151 के तहत एक और आवेदन दायर किया गया था और विविध मामला संख्या 01/2014 को 15.10.2024 के बर्खास्तगी आदेश को अलग करने और विविध संख्या 04/2013 को अपनी मूल फ़ाइल में बहाल करने के लिए स्थापित किया गया था। 22.02.2019 को प्रार्थना की अनुमति दी गई और विविध मामला संख्या 04/2013 को चार साल से अधिक समय के बाद अपनी मूल फ़ाइल में बहाल कर दिया गया। 2013 के केस नंबर 04 में गुण-दोष के आधार पर, याचिकाकर्ताओं के पिछले आचरण पर विचार किया गया, जिसमें उनकी अनुपस्थिति के संबंध में उनके मामले को नकारने के लिए देरी हुई, जब निरस्तीकरण मामले की सुनवाई के लिए बुलाया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस तरह के माफ़ किए गए तथ्यों पर विचार करना कानून के तहत अस्वीकार्य है और इस न्यायालय द्वारा ***श्रीमती रामगति देवी और अन्य बनाम चंद्र शेखर राय और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जो 2007 (3) पीएलजेआर 503*** में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

> *"6. प्रतिद्वंदी के तर्क को समझने के बाद, मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में दम नज़र आता है। यह सच है कि वादी के मुकदमे को पहले 22.05.2001 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन वादी द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर, विविध मामले संख्या 9/2001 में पारित 12.09.2001 के आदेश द्वारा इसे बहाल कर दिया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण से, मेरा मत है कि विद्वान न्यायाधीश को विवादित आदेश पारित करते समय उपरोक्त तथ्य से प्रभावित नहीं होना चाहिए था।*

9. प्रतिवादी के निवेदन पर विचार करने पर, मेरी राय है कि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश का पालन न करने के आधार पर मुकदमे को खारिज करने का आदेश पारित करने में कठोरता दिखाई। जैसा कि पहले कहा गया है, वादी ने वास्तव में आवश्यकताएं दायर की थीं और अदालत ने समन जारी करने का निर्देश दिया था और कई तारीखों पर इसके अनुपालन के लिए दोहराया था, लेकिन अचानक, कार्यालय एक नोट लगाता है कि डाक टिकट दाखिल नहीं किया गया था और उसके बाद, वादी को पर्याप्त अवसर दिए बिना, मुकदमा खारिज कर दिया गया है।"

विद्वान अधिवक्ता ने क्षमा के सिद्धांत पर भी जोर दिया कि पहले या पिछले आचरण पर गौर किया जा सकता है लेकिन इसे बहाली के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है यदि याचिकाकर्ता अपनी अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त आधार साबित करता है जब उसका मामला बुलाया गया था। इसने आगे संतोष व्यक्त किया है कि अदालत ने संहिता के आदेश 17 नियम 2 के प्रावधानों पर भी विचार नहीं किया है, जिसके स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अदालत आगे बढ़ सकती है, भले ही वादी अनुपस्थित हो, अगर सबूत का पर्याप्त हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका हो।

04. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कभी भी वसीयतनामा कार्यवाही में भाग नहीं लिया और कुछ धोखेबाज पेश हुए और याचिकाकर्ताओं राजीव रंजन और अश्विनी कुमार का जाली *वकालतनामा* दायर किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रोबेट मामले में, प्रतिवादी सं० 1 ने ओम प्रभा देवी पर दानापुर में उनके वर्तमान पते के बजाय उनके 'नैहर' के पते पर

उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी करते हुए नोटिस देने के संबंध में एक मिली-जुली रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अलावा, प्रतिवादी सं० 1 ओम प्रभा देवी द्वारा कथित रूप से एक वकलातमा निष्पादित करने में कामयाब रहा। अदालत में दायर की गई और समय याचिकाएं भी कथित तौर पर बाद की तीन तारीखों पर उनकी ओर से दायर की गईं, लेकिन प्रतिवादी सं० 1 ओम प्रभा देवी के बेटों और बेटियों को नोटिस जारी कराने के लिए कभी मेहनत नहीं की। 12.05.2005 को श्रीमती के बेटों के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश को वापस लेने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। ओम प्रभा देवी, अर्थात, प्रतिवादी सं. 1 के पति और उसके भाई के विरुद्ध, लेकिन प्रार्थना 24.05.2005 को अस्वीकार कर दी गई थी। तब भी उनके खिलाफ नोटिस जारी नहीं किया गया था। हालाँकि, अगले ही दिन, यानी 09.06.2005 को याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित रूप से संयुक्त रूप से निष्पादित एक वकालतनामा दायर किया गया था। एक अन्य वकालतनामा कथित रूप से अशोक कुमार द्वारा निष्पादित किया गया, प्रतिवादी सं० 2 24.06.2005 को दाखिल किया गया था। इसके बाद, प्रतिवादी सं० 1 ने अपने बेटों और बेटियों की ओर से 17.12.2005 को उनकी सहमति से उनके पक्ष में वसीयत देने के लिए एक याचिका दायर की है। यह प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भी स्वीकार किया गया था। न तो याचिकाकर्ता और न ही प्रतिवादी सं० 2 और न ही प्रतिवादी सं० 1 की सास ने कोई लिखित आपत्ति दायर की और उन्होंने वसीयतनामा याचिकाकर्ता के गवाहों से जिरह नहीं की। इस प्रकार, यह अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ धोखाधड़ी करने वाला एक सांठगांठ वाला मामला था। हालाँकि, विद्वान विचारण न्यायालय इन तथ्यों पर विचार करने में विफल रहा और याचिकाकर्ताओं के पिछले आचरण पर निरस्तीकरण मामले की बहाली के लिए याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया और इसलिए, उक्त आदेश को उलटने और रद्द करने की आवश्यकता है।

05. श्री शर्मा ने आगे कहा कि वसीयतनामा वाद स्वयं विचारणीय नहीं था क्योंकि यह समय की पाबंदी थी क्योंकि यह वसीयतकर्ता की मृत्यु के तीन साल के भीतर दायर नहीं किया गया था और उन्होंने ***कुंवरजीत सिंह खंडपुर बनाम किरणदीप कौर*** के मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया, जिसमें ***(2008) 8 एससीसी 463*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के अनुदान के लिए याचिका पर भी लागू होता है। इस प्रकार, श्री शर्मा ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

06. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे.एस. अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान सिविल विविध याचिका पूरी तरह से योग्यता से रहित है और इसे तत्काल खारिज किया जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि निरसन कार्यवाही भी निरसन मामला संख्या 238/2006 होने के कारण रखरखाव योग्य नहीं थी और उस मामले के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे की कार्यवाही मृत घोड़े को पीटने के बराबर है। श्री अरोड़ा ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रोबेट मामले में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के मृत पति के भाई होने के नाते और उनकी मां ओम प्रभा देवी भी उपस्थित हुईं, उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में प्रोबेट के अनुदान का विरोध करते हुए कार्यवाही में भाग लिया। श्री अरोड़ा ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रोबेट मामला प्रतिवादी संख्या के पक्ष में अनुमति दी गई थी। 1 और इस तरह के प्रोबेट के अनुदान के खिलाफ, उपाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के तहत निहित है, लेकिन याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी, हालांकि यह एक अपील योग्य आदेश था। वर्ष 2006 में, प्रोबेट के अनुदान की तारीख से 10 महीने की समाप्ति के बाद, याचिकाकर्ताओं और उनकी मां द्वारा, जो अब दिवंगत हो चुकी हैं, निरसन मामला

संख्या 238/2006 दायर किया गया था, जबकि प्रोबेट याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 2 की उपस्थिति में उनकी आपत्ति के बावजूद प्रदान किया गया था और इसलिए, उनके लिए आपत्ति दर्ज करने का कोई अवसर नहीं था और उक्त निरसन अपने आप में पूरी तरह से गलत था और पोषणीय नहीं था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि एक विभाजन वाद संख्या 112/1986 दोनों पक्षों के बीच दानापुर सिविल कोर्ट में चल रहा है और वर्तमान में विद्वान उप-न्यायाधीश I, दानापुर की अदालत में लंबित है। 1 गवाह के रूप में पेश हुए और जिरह में उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रोबेट मामले में वे अपनी मां के साथ पेश हुए थे और अनुदान पर आपत्ति जताई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रोबेट पहले ही प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिया जा चुका था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 2 के पास निरसन दायर करने का कोई अवसर नहीं था और उनके पास केवल प्रोबेट के आदेश के खिलाफ अपील करना ही विकल्प बचा था। श्री अरोड़ा ने आगे तर्क दिया कि विविध मामले में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि वे जेल में हैं और इस कारण से याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई पैरवी नहीं की जा सकती और याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी कि प्रतिवादी संख्या 2, अशोक कुमार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मिलीभगत में आए थे जो पूरी तरह से गलत है और केवल मामले में उनकी अनुपस्थिति को छिपाने के लिए ऐसा किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2, अशोक कुमार को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था और न ही वह जेल गए थे और उनके विविध मामले में आम वकालतनामा दायर किया गया था। इसलिए यह दलील कि याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के कारण उनकी ओर से कोई पैरवी नहीं की जा सकती, पूरी तरह से गलत और परेशान करने वाली है। इस कारण से याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर वर्तमान सिविल विविध याचिका दायर की है जिसमें अशोक कुमार को प्रतिवादी संख्या 2 बनाया गया है, जबकि वह ओम प्रभा देवी की मृत्यु के बाद विविध मामले में याचिकाकर्ता संख्या 1 थे। विद्वान

वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि मामले का सही तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 2 तथा मृतक ओम प्रभा देवी का स्वर्गीय सत्यपाल वर्मा के उत्तराधिकारियों को एक धूर जमीन देने का कोई इरादा नहीं था और जब शीर्षक विभाजन वाद संख्या 112/1986 दायर किया गया था, तब उन्होंने सत्यपाल वर्मा को भी इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया, हालांकि वह उस समय जीवित थे। सत्यपाल वर्मा की मृत्यु 28 जून 2004 को हो गई और उनके जीवित रहते हुए याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 2 ने मिलीभगत और गुप्त तरीके से संपत्ति को केवल याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच विभाजित करने के लिए विभाजन का समझौता डिक्री प्राप्त कर लिया था। जब प्रतिवादी संख्या 1 और उसके बेटों को धोखाधड़ी वाले समझौता डिक्री के बारे में पता चला, तो उन्होंने उक्त डिक्री को रद्द करने के लिए विविध मामला संख्या 04/2006 दायर किया, जिसका याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 2 ने इसकी स्थिरता को चुनौती देते हुए विरोध किया। हालांकि, उक्त समझौता डिक्री को अधीनस्थ द्वितीय, पटना की संबंधित अदालत ने 29.06.2010 को रद्द कर दिया था। उस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 2 ने सिविल रिवीजन संख्या 769/2010 प्रस्तुत किया तथा रिवीजन को इस न्यायालय द्वारा ***सत्येन्द्र कुमार @ राजीव रंजन बनाम मोस्ट शकुंतला कुमारी वर्मा एवं अन्य*** के मामले में दिनांक 30.11.2011 के निर्णय के तहत खारिज कर दिया गया, जो ***2012(1) पीएलजेआर 437*** में रिपोर्ट किया गया था। उक्त फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 2 ने एसएलपी (सिविल) संख्या 11140/2012 दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की और उक्त एसएलपी को भी दिनांक 13.07.2022 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 2 किसी न किसी बहाने से विभाजन वाद संख्या 112/1986 का निपटारा नहीं होने दे रहे हैं।

07. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने ***कृष्ण कुमार शर्मा बनाम राजेश कुमार शर्मा (2009) 11 एस. सी. सी. 537*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्रतिवादी सं.1 द्वारा दायर वसीयतनामा मामले में सीमा का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। क्योंकि निर्दिष्ट मामले में वसीयतनामा याचिका को 18 साल के बाद भी बनाए रखने योग्य पाया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के आचरण को विवादित आदेश पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नोट किया गया है और आदेश से ही यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कभी भी अपने मामले का निपटारा नहीं चाहते थे और मुख्य रूप से इसे रोकने में रुचि रखते थे। उन्होंने साफ-सुथरे हाथों से अदालत का रुख नहीं किया और अपनी इच्छा के अनुसार कार्यवाही चलाने की कोशिश की और इस कारण से, उनकी याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया गया।

08. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री विकास कुमार शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि रद्द करने का मामला पूरी तरह से विचारणीय है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 263 में प्रावधान है कि वसीयतनामा या प्रशासन के पत्रों का अनुदान उचित कारण के लिए निरस्त या रद्द किया जा सकता है और उचित कारण तब माना जाएगा जब अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही सार रूप में दोषपूर्ण थी, या अनुदान को गलत सुझाव देकर और मामले से संबंधित किसी महत्वपूर्ण बात को अदालत से छिपाकर धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था या अनुदान को उचित ठहराने के लिए कानून के बिंदु पर आवश्यक तथ्य के असत्य आरोप के माध्यम से प्राप्त किया गया था, हालांकि ऐसा आरोप अज्ञानता में या अनजाने में लगाया गया था। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रोबेट धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, इसलिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 के तहत कोई अपील दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विद्वान वकील ने आगे

कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 295 का पूर्ण उल्लंघन हुआ है जो विवादास्पद मामलों में प्रक्रिया निर्धारित करती है लेकिन धारा 295 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और इस प्रकार, धारा 263(ए)(बी) के दोनों बिंदुओं पर। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं का जाली वकालतनामा चंद्रदेव प्रसाद और ओम प्रभा देवी की पोतियों द्वारा दायर किया गया था, जो वर्ग-1 की वारिस हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा ने ***कुशेश्वर पुरबे बनाम श्री 108 राम जानकी जी एस*** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जो ***2017(3) पीएलजेआर 791*** में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 और 384(2) के तहत अपील के वर्गीकरण का प्रश्न उनके दावे का समर्थन करने के लिए उठा था कि धारा 263 के तहत निरसन को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 384(2) के तहत अपील योग्य बनाया गया है और इसे विविध अपील के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

09. मैंने मामले के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार किया है। प्रतिवादी संख्या 1 के तर्क का मुख्य सार यह है कि निरस्तीकरण मामले की बहाली के लिए दायर विविध मामले में कोई भी निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए कि निरस्तीकरण मामला स्वयं स्वीकार्य है या नहीं। प्रतिवादी संख्या 1 का तर्क है कि न्यायालय को यह मान लेना चाहिए कि याचिकाकर्ता झाड़-झंखाड़ में उलझे हुए हैं। यदि याचिकाकर्ताओं का निरस्तीकरण मामला स्वीकार्य नहीं है, तो उसे बहाल करने और उसके बाद उसे स्वीकार्य न मानने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि यह एक मृत घोड़े को पीटने के समान होगा।

10. *इसके विपरीत*, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि प्रोबेट प्रदान करते समय संबंधित न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी और दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाए जाने के आरोप

हैं, इसलिए निरस्तीकरण का मामला भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 263 के तहत बनाए रखने योग्य है। इसके बाद, एक और सवाल यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पिछले आचरण के आधार पर निरस्तीकरण मामले की बहाली के लिए दायर विविध मामले को खारिज करने में सही था।

11. सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि निरस्तीकरण मामले की स्थिरता इस न्यायालय के समक्ष कोई मुद्दा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने निरस्तीकरण मामले की शुरूआत और आगे की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी है और यदि तथ्यों और परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिरता के अलावा कोई अन्य मुद्दा है, जिसके लिए साक्ष्य की विस्तृत जांच की आवश्यकता है, तो यह न्यायालय इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहेगा। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से स्थिरता के संबंध में जो भी तर्क उठाए गए हैं, उन्हें संबंधित न्यायालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

12. यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि 06.06.2013 से 10.07.2013 तक याचिकाकर्ता हिरासत में थे। पिछला आचरण प्रासंगिक हो सकता है लेकिन वर्तमान मामले के लिए, याचिकाकर्ताओं को अपनी सच्चाई दिखाने की आवश्यकता थी कि वे निर्धारित तिथि पर क्यों उपस्थित नहीं हुए जब मामला चूक के लिए खारिज कर दिया गया था।

इसके अलावा, संहिता का आदेश 17 नियम 2 इस प्रकार हैः-

> *"**2. यदि पक्षकार निर्धारित दिन पर उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो प्रक्रिया.-** जहां, किसी ऐसे दिन, जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है, पक्षकार या उनमें से कोई भी उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय*

आदेश IX द्वारा उस संबंध में निर्देशित किसी एक तरीके से वाद का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ सकता है या ऐसा अन्य आदेश दे सकता है, जिसे वह ठीक समझे।

***[स्पष्टीकरण.-** जहां किसी पक्षकार का साक्ष्य या साक्ष्य का पर्याप्त भाग पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है और ऐसा पक्षकार किसी ऐसे दिन, जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है, उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय अपने विवेकानुसार मामले को इस प्रकार आगे बढ़ा सकता है, मानो ऐसा पक्षकार उपस्थित हो।]*

संहिता के आदेश 17 नियम 2 के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अदालत मामले में आगे बढ़ सकती है जब किसी भी पक्ष का साक्ष्य या सार पहले ही दर्ज किया जा चुका हो और ऐसा पक्ष किसी भी तारीख को पेश होने में विफल रहता है जिस तिथि मुकदमे की सुनवाई स्थगित की जाती है। इस प्रावधान से सादृश्य लेते हुए, निश्चित रूप से वर्तमान विविध मामले में, दोनों पक्षों के साक्ष्य दर्ज किए गए हैं और दलीलें सुनी गई हैं और दलीलों के लिखित नोट प्रस्तुत किए गए हैं, विद्वान विचारण न्यायालय के लिए उचित पाठ्यक्रम गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करना था या कम से कम आवेदक/याचिकाकर्ताओं को अवसर देना था। यदि विविध मामले को ऐसी तकनीकी बातों और पिछले आचरण पर विचार करने के आधार पर खारिज किया गया था, तो मेरा यह विचार है कि विद्वान विचारण न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उचित उपयोग करने में विफल रहा और उसने अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि की है और इसलिए, आरोपित आदेश संधारणीय नहीं है और इसे अलग रखा जाता है और विविध मामला संख्या 04/2013 को अनुमति दी जाती है।

13. तदनुसार, तत्काल याचिका को अनुमति दी जाती है।

14. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। विद्वान विचारण न्यायालय इस मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ेगा।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

डीकेएस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।